भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2397
दिनांक 21.12.2022 को उत्तर देने के लिए

खनन निगरानी प्रणाली

†2397. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अवैध खनन का पता लगाने के लिए खनन निगरानी प्रणालियां स्थापित नहीं की हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पकड़े गए खनिजों के नाम, अवैध रूप से खनन किए गए और पकड़े गए खनिजों की मात्रा, इसमें शामिल रॉयल्टी की राशि तथा लगाए गए जुर्माने सहित अवैध खनन के अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) कितने राज्यों ने जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) की स्थापना नहीं की है अथवा उनके पास डीएमएफ के संबंध में आंकड़े नहीं हैं; और
(घ) अवैध खनन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के माध्यम से प्रमुख खनिज पट्टों के आसपास अवैध खनन की पहचान के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर की सहायता से खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है। सृजित ट्रिगर्स को सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण को भेज दिया जाता है।

(ख): राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर राजस्थान राज्य में विगत 3 वर्षों में पता लगाये गये अवैध खनन के अपराधों, अवैध रूप से खनन किये गये खनिज की मात्रा और लगाये गये जुर्माने की राशि आदि का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	प्रमुख खनिज					गौण खनिज				
	मामलों की संख्या	उत्खनित/ढेर लगाए गए/ढोये गए खनिज/अयस्क की मात्रा	वसूला गया जुर्माना			मामलों की संख्या	उत्खनित/ढेर लगाए गए/ढोये गए खनिज/अयस्क की मात्रा	वसूला गया जुर्माना		
			खनिज का मूल्य	जुर्माना	कुल			खनिज का मूल्य	जुर्माना	कुल
		मीट्रिक टन	रु.	रु.	रु.		मीट्रिक टन	रु.	रु.	रु.
2022-23 (सितम्बर-2022 को समाप्त तिमाही तक)	20	902.19	2048921	889999	2938920	5318	1761472.224	201208096	389598235	590806331
2021-22	67	30511.56	2416314	4220000	6636314	9279	1340596.545	229263150.3	627634869.3	856898019.6
2020-21	165	3477.3	4388195.32	7550004.8	11938200.12	11010	69670503.54	465779304.8	647830153	1113609458
2019-20	37	549.5	1876501.715	2032274.95	3908776.665	12853	2054142.298	1060293825	676132208.6	1736426033.6

(ग): 6 राज्यों ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना नहीं की है।

(घ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 की धारा 23ग, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अतः अवैध खनन और खनिज संसाधनों की तस्करी पर नियंत्रण का मामला राज्य सरकारों के वैधानिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है।

*****